



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2 गी मॉडिंग, प्रातिष्ठा भवन, न्यू मंगेन लाईन्स, 101, महारशी करवे रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र. - (022)22039680, फॅक्स - 22086984  
ई-मेल: [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), वेबसाईट: <http://agmaha.cag.gov.in>

2<sup>nd</sup> Floor, Prasthitha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020 Tel.No. - (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail: [agaeMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agaeMaharashtra1@cag.gov.in), Website: <http://agmaha.cag.gov.in>

पंजीकृत डाक

Date: 26/04/2023

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61257385/Bihar/Ch.5/जा.सं. 61122589

सेवा में,

1. सभी खजाना कार्यालय,
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,  
लेखा-को भवन, ए विंग,  
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,  
मुंबई-400 051.

विविध - Grant of Dearness Relief @396% w.e.f. 01/07/2022 and Dearness Relief @212% w.e.f. 01/07/2022 to the State Govt. Pensioners/Family pensioners who are drawing in the Un-revised Pay Scale as per Fifth and Sixth Pay Commission.

संदर्भ - Govt. of Bihar, Resolution No. 3-ए-3.-(भत्ता)--02/2022/10876/10877/वि. Dated 21/11/2022.

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) Bihar, Patna के पत्र संख्या Pen-09-17 दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है
3. सभी Bihar सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शायें।
4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e. [cag.gov.in/ae/mumbai/en](http://cag.gov.in/ae/mumbai/en)**  
कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

*S. Anand*

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/23/Govt/61257385/Bihar/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5<sup>th</sup> Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya - 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), Bihar, Patna के पत्र संख्या Pen-09--17 दिनांक 11/04/2023.



बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4479, दिनांक-09.05.2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2022 के प्रभाव से 381% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(2)/2008-E.II(B), दिनांक-12.10.2022 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% से बढ़ाकर 396% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि-

(i) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 381% से बढ़ाकर 396% किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

(iii) पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महंगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महंगाई भत्ता/राहत







बिहार सरकार  
वित्त विभाग  
संकल्प

बिहार विधान सभा सचिवालय  
प्राप्ति तिथि: 22/11/22  
केंद्रीय डाक नं० 13845

पटना, दिनांक-

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-4478/वि० दिनांक-09.05.2022 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 203 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/3(1)/2008-E.II(B), दिनांक-12.10.2022 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% से बढ़ाकर 212% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2022 के प्रभाव से 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।
- पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।



Tr. 1957  
ED Section

(iv.) महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अंश रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम अंश को छोड़ दिया जाएगा।

(v.) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किये जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दाव निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद व कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देया होगा।

आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-...../वि०

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-...../वि०

पटना, दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/संसाधन विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग।

4